न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी :- मनीषा, आर.ए.एस.

मुकदमा नं0 :- 19/2020

उनवान

1. गणपतलाल पुत्र कजोड
2. सत्यनारायण पुत्र कजोड
3. महेशचन्द पुत्र कजोड
4. दामोदर पुत्र कजोड
5. मुकेश कुमार पुत्र कजोड

जाति ब्राह्मण (उपाध्याय) निवासी ग्राम कुण्डल तहसील दौसा जिला दौसा।

6. उगन्ती उर्फ कलावती पुत्री कजोड पत्नि गोपाललाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कुण्डल हाल निवासी काबलेश्वर तहसील दौसा जिला दौसा।
7. विमला पुत्री कजोड पत्नि संजय जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कुण्डल हाल निवासी गुढाकट्ला तहसील बसवा जिला दौसा।
8. शिमला पुत्री कजोड पत्नि मुकेश जाति ब्राह्मण निवासी कुण्डल हाल निवासी करनावर तहसील बसवा जिला दौसा।

(वादीगण)

बनाम

1 प्रभु पुत्र रामसहाय जाति ब्राह्मण (उपाध्याय) निवासी ग्राम कुण्डल तहसील दौसा जिला दौसा।

2 राजस्थान सरकार, जरिये उपतहसीलदार उपतहसील सैंथल जिला दौसा।

3 शाखा प्रबंधक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा कुण्डल तहसील दौसा जिला दौसा। उपपंजीयक दौसा, तहसील दौसा जिला दौसा।

(प्रतिवादीगण)

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.02.22 17:16:37 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थितिः- 1. श्री राजेन्द्र प्रसाद जांगिड, अधिवक्ता वादीगण
2. श्री रिद्धिचन्द शर्मा, अधिवक्ता प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 आरटी एक्ट

::निर्णय::

दिनांकः 28/01/21

आज यह पत्रावली पेश हुई पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक दावा विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन है कि ग्राम कुण्डल तहसील दौसा जिला दौसा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 349 रकबा 0.33 है0, खसरा नम्बर 350 रकबा 0.31 है0, खसरा नम्बर 351 रकबा 0.26 है0, खसरा नम्बर 352 रकबा 0.27 है0, खसरा नम्बर 409 रकबा 0.46 है0, खसरा नम्बर 409/2235 रकबा 1.04 है0, खसरा नम्बर 410 रकबा 0.49 है0, खसरा नम्बर 411 रकबा 0.53 है0, खसरा नम्बर 84 रकबा 0.36 है0 एवं खसरा नम्बर 85 रकबा 0.09 है0 कुल किता 10 कुल रकबा 4.14 है0 भूमि स्थित है। उक्त भूमि खातेदारी में वादीगण का हिस्सा 1/3 है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 2/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है और इसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि के खातेदार काबिज काश्तकार है तथा अपने हिस्से अनुसार काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है। उक्त आराजी भूमि का अभी तक विधिवत रूप से तकास्मा नही हुआ है, सभी पक्षकार अपने अपने हिस्से की भूमि पर हिस्सेनुसार काबिज है, कानूनन जब तक भूमि का तकास्मा नही हो जावे भूमि के प्रत्येक भू-भाग व हिस्से पर प्रत्येक खातेदार का कब्जा माना गया है। इसलिए बिना तकास्मा कराये कृषि भूमि के किसी भी हिस्से को किसी भी खातेदार को रहन, बय करने का अधिकार नही है। परन्तु प्रतिवादी नं0 1 बिना तकास्मा कराये ही भूमि को विक्रय करने को आमादा हो रहा है। वादीगण द्वारा कई बार प्रतिवादी संख्या 1 से भूमि का तकास्मा कराने को कहा तो वह टालमटोल करता रहा और अब प्रतिवादी नं0 1 ने तकास्मा कराने से इन्कार कर दिया और कहा की वह बिना तकास्मा कराये ही अपने हिस्से की भूमि का बेचान करेगा। यदि प्रतिवादी सं0 1 यदि अपनी उक्त बेजा व नाजायज कार्यवाही में सफल हो गया तो वादीगण व वादीगण के अधिकारों को अपूरणीय क्षति होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.02.22 17:16:37 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण ने न्यायालय में वाद पेश कर उपरोक्त आराजी को [illegible] हिस्सेनुसार बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स फरमाकर अलग अलग खातेदारी हिस्सेनुसार प्रदान कर अलग अलग [illegible] प्रदान कर लगान भी अलग अलग कायम फरमाने एवं प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की वे बिना तकास्मा कराये ही उक्त भूमि के किसी भी हिस्से व भू-भाग का विक्रय न करे तथा भूमि के राजस्व

रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। प्रतिवादी संख्या 2 को भी पाबन्द किया जावे की वे उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड यथावत स्थिति बनाये रखे तथा भूमि के विक्रय पत्र का पंजीयन न करें।

हमने प्रतिवादीगण को तलब किया इस पर प्रभू पुत्र रामसहाय ने जरिये अधिवक्ता दिनांक 05.08. 2020 को आ ईन 7 रूल 11 का प्रार्थना पत्र पेश किया और निवेदन किया की वाद कानूनन बाधित होने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद को खारिज किया जाये।

हमने उभयपक्षकारान के वकीलों की बहस को सुना। प्रतिवादी के अधिवक्ता का तर्क था कि आराजी खसरा नम्बर 349, 35, 351, 352, 409, 409/2235, 410, 411, 84 व 85 कुल किता 10 कुल रकबा 4.14 है0 ग्राम कुण्डल में स्थित भूमि के साबिक खसरा नम्बर 30, 140 व 169 कुल किता 3 कुल रकबा 16 बीघा 18 बिस्वा है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में मिन प्रतिवादी द्वारा सन् 1979 एक वाद उपजिला कलक्टर दौसा के समक्ष प्रस्तुत किया था। जिसमें दिनांक 31.07.1980 को राजीनामा के आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर विवादित भूमि का तकारम्मा राजीनामा के आधार पर किया गया। जिसकी अपील अभी तक किसी भी न्यायालय में नही की गयी। प्रतिवादी अधिवक्ता ने यह कथन भी किया कि कोई विवादक समान सम्पति एवं समान अनुतोष के लिए जब पूर्व में निर्णित किया जा चुका हो तो उसके सम्बन्ध में उन्ही अनुतोष व विवाद के सम्बन्ध में पुनः समान न्यायालय में वाद प्रस्तुत नही किया जा सकता एवं वाद कानूनन प्रतिबन्धित है। कानूनन बाधित होने के कारण अधिवक्ता द्वारा खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

दूसरी तरफ अधिवक्ता वादीगण का तर्क था की उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में कभी भी वादी की जानकारी के अनुसार उपजिला कलक्टर दौसा में कोई वाद वादीगण द्वारा पेश नही किया गया ना ही वादीगण की जानकारी के अनुसार उपजिला कलक्टर दौसा से कोई वाद राजीनामा के आधार पर निस्तारित हुआ और यदि कोई राजीनाम प्रस्तुत किया था तो वह वादीगण के पिता कजोड़ द्वारा किया गया। चूंकि वादीगण के पिता निरक्षर थे इसलिए झूठा राजीनामा बनाकर प्रस्तुत किया। वादीगण के अधिवक्ता का यह भी कथन था यदि वाद 31.07.1980 में निर्णित हो गया तो माननीय न्यायालय के उस फैसले की पालना आज तक क्यों नही हुई। उक्त कृषि भूमि की जमाबन्दी में आज भी वादीगण एवं प्रतिवादी की शामिलत कृषि भूमि का तकास्मा नही हुआ है अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

हमने वकूलय फरिकेन की बहस को सुना वकील प्रतिवादी के तर्क [illegible] उक्त खसरा नम्बर की डिक्री एवं निर्णय 31.07.1980 को माननीय न्यायालय उपजिला कलक्टर [illegible]सा में हो चुका।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.02.22 17:16:37 IST
Reason: SelfAttested

जिसमें वादीगण के पिता कजोड पुत्र रामसहाय जाति ब्राहम्ण निवासी कुण्डल तथा प्रतिवादी प्रभू पुत्र रामसहाय जाति ब्राहम्ण निवासी कुण्डल के मध्य हुये राजीनामा को उपजिला अधिकारी दौसा द्वारा तस्दीक किया गया तथा राजीनामे के आधार पर वाद का निस्तारण किया। अतः समान खसरा नम्बर व समान अनुतोष के लिए पूर्व में निर्णित किया जा चुका वाद पुनः समान न्यायालय में नही चलाया जा सकता। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 11 के अनुसारः-

"कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद का विचारण नही करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्यय विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्ही पक्षकारों के बीच या ऐसे पक्षकारों के बीच के, जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते है, किसी पूर्ववती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्यय रहा है जो ऐसे पश्चातवर्ती वाद का या उस वाद का, जिसमें ऐसा विवाद बाद में उठाया गया है विचारण करने के लिए सक्षम था ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अन्तिम रुप से विनिश्चित किया जा चुका है।"

अतः उपरोक्त विवेचन की रोशनी में प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 को स्वीकार किया जाता है। दावा व अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज किये जाते है।

सहायक कलक्टर
दौसा 20/01/21

फैसला आज दिनांक 20/01/21 को सरे इजलास सुनाया गया। मिसल वाद तकमिल दफ्तर दाखिल की जावे।

सहायक कलक्टर
दौसा 20/01/21

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha
Date: 2022.02.22 17:16:37 IST
Reason: SelfAttested